FROM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत .... सहायक कलक्टर (SDO) बायतू .... मुकाम ....

विरदाराम .... बनाम .... अमराराम वगैरह

किस्म मुकदमा .... राजस्व आवेदन .... नं. .... 21 .... सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/2/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111/128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/2/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतू	
25/02/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील हस्ब तामील अप्राप्त। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 11/03/2020 को पेश हो।	
11/03/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-1 से 5 व 7 से 11 के नोटिस तामील शुदा व विप्रार्थी संख्या-6 के नोटिस पर फौत होना लिखा गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थी संख्या-6 की फौतगी सूचना व कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लेने मय संशोधित शीर्षक पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-6 के कायम मुकाम की ओर से वकील श्री नरपत [illegible] द्वारा वकालातनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी [illegible] कायम मुकाम के अधिवक्ता जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं जिनकी जवाब बन्द किया जाकर [illegible] विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतू	जवाब पेश नहीं [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:05:24 IST
Reason: SelfAttested

शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी रिकार्ड पर लिया जाकर बहस हेतु पत्रावली दिनांक 10/06/2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

10/6/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणो के खातेदारी खेत सेठा सेठ आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतो के बीच जो पुरानी माठे व कणे आये हुए थे जो वर्तमान मे आँधियो की वजह से बिखर गये है। इसलिए प्रार्थी को अपने खेत के सेठो का सही ज्ञान नही हो पा रहा है। प्रार्थी को अपने खेत के सेठो का सही ज्ञान करने के लिए अपने खातेदारी खेत की पक्की नेखम बंदी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखम बंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखम बंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू. अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेखम बंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:05:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 364 दिनांकः–10.06.2020

राजस्व आवेदन संख्या –21 / 2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री विरधाराम पुत्र उदाराम, जाति–भील, निवासी–रूगोणी मेगवालों की ढ़ाणी, बायतु भीमजी तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		श्री अजबाराम पुत्र पोकरराम वगैरा 11, जाति–भील, निवासी–रूगोणी मेगवालों की ढ़ाणी, बायतु भीमजी तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा रूगोणी मेगवालों की ढ़ाणी, बायतु भीमजी पटवार हल्का बायतु भीमजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 859 / 722 रकबा 2.8072 हैक्टर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता हैं एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / दिनांकः–

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बायतु भीमजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री विरधाराम पुत्र उदाराम ।
4. विप्रार्थीगण श्री अजबाराम पुत्र पोकरराम वगैरा 11।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:05:24 IST
Reason: SelfAttested